238
227

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

क्रमांक एफ 7–67/2010/1/माअप्र. भोपाल, दि0 30.08.2012

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
3. समस्त कलेक्टर्स,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश.

विषय– **म0प्र0मानव अधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।**

संदर्भ– विभागीय समसंख्यक पत्र दि0 15.12.2010

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया था। [redacted] आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का पालन समय –सीमा में संबंधित विभागों द्वारा न किये जाने के कारण वार्षिक प्रतिवेदन समयावधि में विधान सभा पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण विधान सभा की परीक्षण समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा शासन से भविष्य में पुनरावृत्ति न होने संबंधी निर्देश दिये है।

निर्देशानुसार अवगत होवे कि प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों अनुशंसाओं/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। आयोग द्वारा समन करने पर समक्ष में उपस्थित होकर विषय/तथ्य को भी स्पष्ट करने का कष्ट करें।

29/8/12
(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र.)
भोपाल, दि0 30.08.2012

पृ0क0 एफ 7–67/2010/1/माअप्र.
प्रतिलिपि–
रजिस्ट्रार लॉ, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/12
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र.)
30/8/12